

16/3/23 पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्तागण हड़ताल के अंतर्गत, प्राची श्री रूपाराम / श्री रामचन्द्र स्वयं उपास्थित। अप्राची तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट प्रस्तुत। रिपोर्टनुसार विवादित अराजी भूखण्ड खसरा सं. 812, ग्राम केशु, अपाराज जिला जोधपुर वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के क्षेत्राधिकार व स्वामित्व में है। अतः उक्त परिस्थितियों में कथित अराजी के संबंध में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत नहीं होता। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 12.4.23 को पेश हो। अ व प्रार्थना पत्र का निर्णय पत्रक से जारी है। सहायक कमिश्नर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर पत्रावली फंसल नुमां हो नम्बर से कम की जाय। अ



सहायक कमिश्नर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर